महत्वपूर्ण एवं खास

जामुन टहनी तोड़ते लगा करंट, महिला की मौत

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जिले में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटना नैला चौकी उप थाना क्षेत्र के सरखो गांव की है। महिला परमेश्वरी बिंझवार (32) 3 महिलाओं के साथ सडक़ किनारे जामुन के पेड़ से टहनियां लेने गई थी। महिला जामुन के पेड़ में चढक़र टहनियां काट रही थी। 33 केवी का तार पेड़ से होकर गुजरा हुआ था। टहनियां काटते समय महिला बिजली तार की चपेट में आ गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। नीचे खड़ी महिलाओं ने आसपास के लोगों को बुलाया। नैला चौकी उप थाना में घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरा और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी अनुसार सोमवर की सुबह परमेश्वरी बिंझवार घर की बाड़ी में लगे सब्जी के पौधों के नार को ऊपर करने के लिए टहनियां लेने गई थी। सडक़ किनारे लगे जामुन के पेड़ की टहनियां काटते समय यह हादसा हो गया।

रेल यात्रियों की फिर बढ़ी मुसीबत, दर्जन भर से अधिक ट्रेने रद्द

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल रेवले अधोसंरचना विकास से जुड़े कार्यों को पूरा कराने में जुटी है। जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जहां रायपुर से आने वाली केवल पांच ट्रेने ही बिलासपुर तक चल पायेगी। ,पांच ट्रेनें बिलासपुर से आगे नही चलेंगी।

ये ट्रेनें हैं रद्द :- 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस, 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस, 12070 गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस,12069 रायगढ़-गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस, 8252 कोरबा- रायपुर, हसदेव एक्सप्रेस,

08737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल, 08738 बिलासपुर- रायगढ़ मेमू स्पेशल, 08735 रायगढ़- बिलासपुर मेमू स्पेशल, 08736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू स्पेशल, 08732 बिलासपुर-कोरबा मेमू स्पेशल, 08731 कोरबा-बिलासपुर मेमू स्पेशल, 08280 रायपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल, 08279 कोरबा-रायपुर पैसेंजर स्पेशल, 08210 बिलासपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल, 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल,8862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल, आज बिलासपुर में समाप्त होगा परिचालन, पांच ट्रेनें नही चलेंगी बिलासपुर से आगे, 18518 विशाखापत्तनम-कोरबा एक्सप्रेस, 18109 टाटानगर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस, 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस, 12410 निज़ामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस।

स्कार्पियो की ठोकर से तीन युवक गंभीर

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जिले के ग्राम झूलन मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने सामने से बाइक सवार तीन युवकों को ठोकर मारी है। तीनों को गंभीर चोटें आई है। अमन महेश्वरी (19), यशवंत टंडन (20) और विशाल बंजारे (20) झिलमिली के रहने वाले हैं। तीनों युवकों की हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया है। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को शाम 5 बजे झूलन मोड़ के पास शाकंभरी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की गाड़ी ने सामने से एक बाइक में सवार तीन युवकों को जोरदार ठोकर मारी है। हादसे में तीनो युवक अमन, यशवंत और विशाल सडक़ किनारे दूर जा गिरे। बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो में शाकंभरी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राम कुमार पटेल और उसके अन्य साथी बैठे हुए थे। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश था। तीनों घायल युवकों को पामगढ़ सीएचसी अस्पताल लगाया गया। तीनों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया है। एक बाइक में सवार तीनों युवक झिलमिली से पामगढ़ की ओर आ रहे थे। वहीं शाकंभरी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रामकुमार पटेल आपके साथियों के साथ पामगढ़ से अपने गांव भैंसो जा रहे थे। पामगढ़ पुलिस ने घटना स्थल से बाइक और स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया है। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।

रिटायर शिक्षक से 80 लाख की ठगी, इंश्योरेंस कंपनी में जमा पूंजी पर लाभ दिलाने के नाम पर 27 खातों में ऑनलाइन जमा करवा लिया

बिलासपुर । आरएनएस

निजी इंश्योरेंश कंपनी में इनवेस्ट करने वाले शिक्षा विभाग के रिटायर्ड शिक्षक को जमा पूंजी पर लाभ दिलाने के नाम पर ठग गिरोह के सदस्यों ने 80 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई हैं।

इंश्योरेंश कंपनी में इनवेस्ट करने वाले शिक्षा विभाग के रिटायर्ड शिक्षक को जमा पूंजी पर लाभ दिलाने के नाम पर ठग गिरोह के सदस्यों ने 80 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठग गिरोह ने इंश्योरेंश कंपनी के अधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ फायनेंस का अधिकारी बनकर रिटायर्ड कर्मचारी से मई 2023 से जून 2024 के बीच 14 महीनों तक अलग-अलग 27 खातों में रकम जमा कराई। ठगी का शिकार होने का अहसास होने पर रिटायर्ड शिक्षक ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

साइबर थाने से मिली जानकारी के अनुसार वाजपेयी कैशल मंगला निवासी विरेन्द्र कुमार देवांगन पिता मनराखनलाल देवांगन उम्र 63 वर्ष शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। 30 मई 2023 को सुबह 10 बजे उनके मोबाइल नंबर पर अलग-अलग 2 नंबरों से कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम अजय अग्रवाल और विष्णु प्रभाकर और खुद को मैक्स लाइफ इंशुरेंस कंपनी हैदराबाद के सीईओ और मैनेजर बताया। दोनों ने उन्हें बताया कि कंपनी में उनहोंने जो इनवेस्ट किया है उसे एजेंट ने इक्विटी फंड में डाल दिया है और इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। एजेंट इसका पूरा फायदा उठाकर रकम अपने खाते में जमा करा रहे हैं। दोनों ने उन्हें एजेंट के नाम और कोड़ हटाने का झांसा देकर बताया कि ऐसा करने पर लाभांश की राशि सीधा उन्हें मिलती रहेगी। इसपर विरेन्द्र के पूछने पर दोनों ने एजेंट कोड़ बदलने की बात कहते हुए इसके लिए 22700 रुपए चार्ज जमा करने के लिए कहा। झांसे में आकर विरेन्द्र ने अपने खाते आईडीएफसी बैंक के मुस्कान नाम के खाते धारक के खाते में 4 मई को ऑनलाइन रकम जमा कर दी। इसके बाद दोनों ने जीएसटी चार्ज, टीडीएस चार्ज, सर्विस चार्ज, बैंक का ओव्हर चार्ज, एनओसी चार्ज के नाम पर वीरेंद्र से 12 मई 2023 को आईडीएफसी बैंक में खाता धारक धारक इंद्रजीत के खातो में 88500/- रूपये, 22 मई से 10 जुलाई तक यश बैंक के खाता धारक रूपेश के खाते में 4,12,825, आईडीएफसी फस्ट बैंक के खाता धारक रवि कुमार के खाते में 2 लाख , 22 से 26 मई तक आईडीएफसी फस्ट बैंक के खाता धारक सहजाद के खाते में 6,39,073 , 25 मई को इंडसइंड बैंक के खाता धारक धर्मेंद्र के खाते में 1 हजार 1 से 23 जून तक एचडीएफसी बैंक खाता के धारक कलीम के खाते में अलग-अलग 17,20,5,37 रुपए , 8 जुलाई से 15 सितंबर तक यश बैंक के खाता धारक मानस रंजन बेहरा के खाते में 10,32,062रुपए , 29 व 30 अगस्त को आईडीएफसी बैंक के खाता धारक आईजीएमएस के खाते में 1 लाख 70 हजार रुपए 22 सितंबर को इंडसइंड बैंक के खाता धारक ब्रजेश यादव खाते में 1 लाख रुपए 27 सितंबर को डीबीएस बैंक के खाता धारक परमजीत के खाते में 1 लाख रुपए , 3 से 6 अक्टूबर तक एचडीएफसी बैंक के धारक हिजाम मंगलम्बा के खाते में 3,44,000 रुपए, 7से 10 नवंबर 2023 तक एयू स्माल फाइनेंस बैंक के खाता धारक विनय शर्मा के खाते में 3 लाख रुपए जमा कराए।

जजों को अब नौकरी छोड़ने के 3 महीने पहले देनी होगी सूचना, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

बिलासपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत जजों के लिए विधि विधायी विभाग ने नया नियम लागू कर दिया है। त्यागपत्र देने के तीन पहले विधि विधायी विभाग को इस संबंध में सूचना देनी होगी। किसी कारणवश तय समयावधि में सूचना नहीं दे पाए तो ऐसी स्थिति में तीन महीने का वेतन सरेंडर करना होगा। नए नियम को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 व 309 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए विधि विधायी विभाग ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में दी गई पूर्व की व्यवस्था में जरुरी संशोधन कर दिया है। संशोधन आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में पदस्थ अगर इस्तीफा देने का मन बनाते हैं तो उनको तीन महीने पहले इसकी सूचना विभाग को देनी होगी। सूचना देना जरुरी नहीं समझते हैं तो इस्तीफा स्वीकार होने से पहले तीन महीने का वेतन जमा करना होगा। पूर्व में यह व्यवस्था एक महीने पहले सूचना या फिर एक महीने का वेतन सरेंडर करने की शर्त रखी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 233 व 309 के नियम 12 उप नियम (पांच) में कुछ इस तरह की व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श और दिए गए सलाह के आधार पर विधि विधायी ने जरुरी संशोधन किया है। विधि विधायी विभाग ने एक और संशोधन कर सिविल जज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विधि में स्नातक की डिग्री के साथ ही राज्य अधिवक्ता परिषद में पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। संशोधन के साथ ही राज्यपाल के अनुमोदन व आदेश के बाद विधि विधायी विभाग के अतिरिक्त सचिव सहाबुद्दीन कुरैशी ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।

विधि विधायी विभाग ने विधि के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान को शामिल किया है। इसे शामिल करने का लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा। प्रदेश से संबंधित सवालों के जवाब स्थानीय युवा जो सिविल जज की परीक्षा दिलाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। विधि विधायी विभाग के इस बदलाव को स्थानीय युवाओं के लिए बोनस अंक के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 व अनुच्छेद 309 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, हाई कोर्ट व राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा भर्ती शर्तें) नियम 2006 में जरुरी संशोधन किया गया है। राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। शहाबुद्दीन कुरैशी- अतिरिक्त सचिव विधि एवं विधायी विभाग छग।

शिविर में आयुष्मान, आधार, श्रम, पीएम विश्वकर्मा आदि का होगा ऑनलाइन पंजीयन

❐ **कलेक्टर ने 31 जुलाई तक जिले के अभियान को सफल बनाने नागरिकों से किया अपील**

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिले के सभी जनपद पंचायत के सीईओ को पत्र लिखा है, जिसमें ग्राम पंचायत में आधार लिंक एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण शिविर के संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पत्र में कहा है कि आधार लिंक एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायत में लगाई जाने वाली शिविर में संपूर्ण व्यवस्था जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, टेबल, कुर्सी एवं भवन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही इसका व्यापार प्रचार प्रसार के लिए कोटवार के माध्यम से मुनादी की जाए। वीएलई (ऑपरेटर) शिविर में आधार लिंक, आयुष्मान कार्ड निर्माण, श्रम पंजीयन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पंजीयन कार्य करेंगे। इन सभी कार्यों के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान हितग्राहियों से किया जाएगा।

कलेक्टर ने जिले में छूटे हुए सभी नागरिकों को 16 से 31 जुलाई 2024 तक अभियान में जुड़कर शत प्रतिशत सभी कार्यों को पूर्ण कर अभियान को सफल बनाने के लिए अपील किया है।

सरसीवा और पवनी में किया गया वार्डों की सीमा निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन

❐ **वार्डों की सीमा निर्धारण के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव 22 जुलाई तक आमंत्रित**

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिले के नगर पंचायत सरसीवा और पवनी में नगरपालिक व नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के नियम 6 के तहत सीमा निर्धारण संबंधी प्रस्ताव 24 जून से 12 जुलाई 2024 तक तैयार कर वार्डों की सीमा निर्धारण संबंधी निर्धारित प्रपत्र में प्रारंभिक प्रकाशन कर दी गई है। वार्डों की सीमा निर्धारण से संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन संबंध में 15 से 22 जुलाई 2024 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित की गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2024 तक नियत अवधि में नागरिकों से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव तथा उन पर अपना अभिमत सहित सम्पूर्ण प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा प्रदेश के नगरीय निकाय का आम निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत परिसीमन हेतु समय-सारणी जारी की गई है। नगरीय निकायों में वार्डों का परिसीमन 2011 की जनगणना को आधार मान कर किया जा रहा है। जारी समय-सारणी अनुसार वार्डों के परिसीमन हेतु राजस्व अधिकारी का नाम निर्दिष्ट 18 जून 2024 को तथा परिसीमन की कार्रवाही हेतु 21 जून 2024 को न्यू सर्किट हाऊस रायपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

राजस्व पखवाड़ा : 88 राजस्व शिविरों में 57 सौ से अधिक आवेदनों का हुआ निराकरण

रायपुर । आरएनएस

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश एवं कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 11 दिनों में कुल 88 ग्राम पंचायतों शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में 6 हजार 269 आवेदन मिले जिसमें से 5747 आवेदनों का निराकरण तत्काल किया गया। साथ ही बचे हुए 522 आवेदनों को समय सीमा में दर्ज किया गया है।

भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त शिविर में बी-1 पठन 241, फौती नामांतरण-153, बंटवारा-43, अभिलेख त्रुटि सुधार-72, किसान किताब-108, आरबीसी.6-4 के 2, आय,जाति, निवास-5603 एवं अन्य-288 आवेदन शामिल है।

अनुविभाग अनुसार बलौदाबाजार में बी-1 पठन 40, फौती नामांतरण-51, बंटवारा-9, अभिलेख त्रुटि सुधार-20, किसान किताब-35, आय,जाति, निवास-2342 एवं अन्य-123आवेदन शामिल है। पलारी में बी-1 पठन 70, फौती नामांतरण-17, बंटवारा-9, अभिलेख त्रुटि सुधार-36, किसान किताब-12, आर बी सी 6-4 के 1 आय,जाति, निवास-575 एवं अन्य-27 आवेदन शामिल है। भाटापारा में बी-1 पठन 42, फौती नामांतरण-45, बंटवारा-4, अभिलेख त्रुटि सुधार-3, किसान किताब-12, आय,जाति, निवास-586 एवं अन्य-30 आवेदन शामिल है। सिमगा में बी-1 पठन 37, फौती नामांतरण-19, बंटवारा-5, अभिलेख त्रुटि सुधार-8, किसान किताब-12, आरबीसी 64 के 1 आय,जाति, निवास-679 एवं अन्य-57 आवेदन शामिल है। कसडोल में बी-1 पठन 21, फौती नामांतरण-10, बंटवारा-6, अभिलेख त्रुटि सुधार-1, किसान किताब-23, आय,जाति, निवास-569 एवं अन्य-27 आवेदन शामिल है। गिरौद में बी-1 पठन 31, फौती नामांतरण-11, बंटवारा-10, अभिलेख त्रुटि सुधार-4, किसान किताब-14, आय,जाति, निवास-852 एवं अन्य-24 आवेदन शामिल है। उक्त शिविर में राजस्व अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित पटवारी, कोटवार, सरपंच सचिव की लगातार उपस्थिति रही।

बरमकेला रोड में पिकअप पलटा : एक की मौत, 6 रायगढ़ रिफर

❐ **कलेक्टर ने घायलों से मिलकर बेहतर इलाज के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए**

❐ **मृतक के परिवार को दी गई 25 हजार की सहायता राशि**

सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ जिला मुख्यालय से बरमकेला के मध्य जंगल क्षे सड़क मार्ग पर मोड़ के पास एक पिकअप वाहन सीजी 13 यूडी 6326 अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 21 व्यक्ति सवार थे। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 6 व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला से रायगढ़ रिफर किया गया है। बाकी 14 लोगो का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला में चल रहा है। कलेक्टर धर्मेश साहू ने घायलों से मिलकर बेहतर इलाज के लिए सीएमएचओ डॉ अवधेश पाणीग्राही को निर्देश दिए। एसपी पुष्कर शर्मा ने घायलों से मिलकर उनके इलाज आदि के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम सारंगढ़ अनिकेत साहू ने मृतक के परिवार को सड़क दुर्घटना में तात्कालिक सहायता राशि 25 हजार रुपए दी है। गाड़ी में सवार सभी व्यक्ति सारंगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो बरमकेला के किसी निर्माण स्थल में मजदूरी का काम करते थे। इस दौरान बरमकेला बीएमओ डॉ संजय पटेल, बरमकेला थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी बरमकेला को जैसे सूचना मिला, आनन फानन में पुलिस टीम तत्काल दुर्घटना स्थल पहुंचकर सभी घायलों को राहत बचाव कार्य में जुटकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला लाया गया।

मृतक और रिफर किए गए घायलों के नाम

पिकअप वाहन पलटने से सारंगढ़ तहसील के ग्राम बड़े खर्री निवासी छबिलाल जोल्हे पिता हीरालाल जोल्हे उम्र 45 वर्ष की मृत्यु हो गई है। गंभीर रूप से घायल रया सिदार पिता छेदीलाल उम्र 20 वर्ष, ओमप्रकाश साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 30 वर्ष, गीता मैत्री पिता किसम मैत्री, उम्र 35 वर्ष, सीमा मुंडा पिता गणेश उम्र 20 वर्ष, राम गुलाल पिता आनंदराम उम्र 30 वर्ष, राम सिंह साहू पिता गोपी उम्र 50 वर्ष को रायगढ़ मेडिकल कालेज रिफर किया गया है।

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, अगले पांच दिनों तक होगी झमाझम बारिश

❐ **कई जिलों में खूब बरसेंगे बादल, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी**

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके की उपरी हवा में चक्रवात बनता दिखाई दे रहा है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी पड़ेगा। आज कई जिलों में आकाश सामान्य रहेगा व गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है।

रविवार को रायपुर सहित कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से रात के तापमान में गिरावाट देखी गई। मौसम विभाग की माने तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में अति भारी बारिश हो सकती है। बस्तर, कोंडागांव, गरियाबंद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, जांजगीर चांपा, जशपुर, बलरामपुर, रायपुर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है।

छत्तीसगढ़ में अब तक औसत वर्षा दर्ज राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 248.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 15 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 410.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 135.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 268.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज- राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 268.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 16 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 418.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 136.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 197.0 मिमी, बलरामपुर में 335.7 मिमी, जशपुर में 239.6 मिमी, कोरिया में 246.6 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 201.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 231.5 मिमी, बलौदाबाजार में 286.2 मिमी, गरियाबंद में 320.4 मिमी, महासमुंद में 216.9 मिमी, धमतरी में 271.0 मिमी, बिलासपुर में 325.4 मिमी, मुंगेली में 312.0 मिमी, रायगढ़ में 324.6 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 189.6 मिमी, जांजगीर-चांपा में 291.3 मिमी, सक्ती में 253.2 कोरबा में 382.5 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 340.2 मिमी, दुर्ग में 166.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 246.0 मिमी, राजनांदगांव में 217.9 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 238.2 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 182.1 मिमी, बालोद में 254.6 मिमी, बेमेतरा में 156.4 मिमी, बस्तर में 354.4 मिमी, कोण्डागांव में 256.4 मिमी, कांकेर में 263.3 मिमी, नारायणपुर में 296.6 मिमी, दंतेवाड़ा में 298.0 मिमी और सुकमा जिले में 412.4 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियॉं की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU